

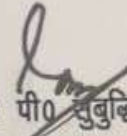


कार्यालय आदेश

एतद्वारा राज्य बोर्ड की 22वीं बैठक दिनांक 28.08.2019 में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत जन सूनवाई हेतु शुल्क के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत जन सूनवाई हेतु शुल्क रु0 1.00 लाख निर्धारित किया जाये।

इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

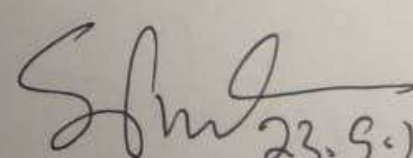
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।


(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

यूईपीसीबी/एच.ओ./22वीं बोर्ड बैठ0/सा0-06/2019/5208-1046 दिनांक 25.09.2019

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री पी0 के0 जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/डा0 डी0के0 जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी/श्री एस0पी0सिंह, पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।


23.9.19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा0)

OFFICE COPY